न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 91/2023 (जी.सी.एम.एस. 2023/390)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. विरेन्द्र सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।	1. सुखपाल कौर पुत्री दल सिंह पत्नी मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जोहरड तहसील मलोट जिला मुक्तसर पंजाब। 2. सिमरजीत कौर पुत्री दल सिंह पत्नी हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डीडी तहसील घडसाना। 3. परमजीत कौर पुत्री दल सिंह पत्नी बोहड सिंह जाति जटसिख निवासी बाण्डा तहसील अनूपगढ। 4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 06.09.2023

उपस्थितः 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3

--निर्णय-- **दिनांकः 22.04.2024**

1. सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का दावा/स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है कि प्रार्थी वगैरा ने अपने पिता इकबाल सिंह से मिलकर हमारे पिता दल सिंह की चक 1 डब्ल्यू, 2 डब्ल्यू, 4 डब्ल्यू में स्थित कृषि भूमि को हडपने के लिए हमारे पिता दल सिंह के नाम से दिनांक 30.01.1991 को उपपंजीयक कार्यालय केसरीसिंहपुर में इकबाल सिंह के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत तैयार करवाई जो फर्जी एंव कूटरचित है एंव अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के अधिकारों पर निष्प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता दल सिंह की मृत्यू दिनांक 12.11.2007 को होने के पश्चात इकबाल सिंह द्वारा उक्त पंजीकृत वसीयत के अनुसार उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर के द्वारा दिनांक 24.09.2009 को नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित किए गए। जिसकी पालना में इन्तकाल संख्या 217, 250, 413 से भूमि प्रार्थी व प्रार्थी की बहन सुखदीप कौर के नाम दर्ज हुई। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 दल सिंह के वारिस होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का हिस्सा बनता है। प्रार्थी एंव उसकी बहन का हिस्सा नहीं बनता है। अप्रार्थीगण को दल सिंह के नाम दर्ज भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र नम्बरी 62/2023 अनवानी सुखपाल कौर आदि बनाम इकबाल सिंह आदि के अनुतोष में चक 1 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 6/6, 59/59, चक 2 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 4/4, चक 4 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 52/50 में वर्णित रकबा के सम्बन्ध में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए जाने बाबत निवेदन किया है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित अनुतोष का आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर चक 1 डब्ल्यू के खाता संख्या 6/6, 59/59 व चक 2 डब्ल्यू के खाता संख्या 4/4 में दर्ज भूमि बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है, परन्तु चक 4 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 52/50 में दर्ज रकबा के बाबत कोई अन्तरिम स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण मूलवाद के निस्तारण तक चक 4 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 52/50 में अपने-अपने नाम दर्ज भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:23:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार चक 4 डब्ल्यू की कृषि भूमि जो अप्रार्थीगण व हमारी बहिन मृतका महेन्द्र कौर के नाम दर्ज है। उस पर हम अप्राथीगण व मृतका महेन्द्र कौर के वारिसान काबिज है। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगण व मृतका महेन्द्र कौर के वारिसान की कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने के लिए माननीय न्यायालय का गुमराह करते हुए मिथ्या तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण दायर किया गया है। यह कथन गलत है कि हम अप्रार्थीगण व मृतका महेन्द्र कौर के वारिसान भूमि को खुर्द-बूर्द करना चाहते हो। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 डब्ल्यू की दल सिंह के नाम दर्ज भूमि का नामान्तरण संख्या 450 के आधार पर गलत रूप से इकबाल सिंह के नाम दर्ज हुयी थी और इकबाल सिंह की मृत्यू के पश्चात विरास्तन नामान्तरण के आधार पर प्रार्थी व उसकी बहिन के नाम दर्ज हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थी व उसकी बहिन का कोई हिस्सा नहीं बनता है और दल सिंह के नाम समस्त कृषि भूमि पर हम अप्रार्थीगण व हमारी बहन मृतका महेन्द्र कौर के वारिसान का हिस्सा बनता है। उक्त भूमि पर हम अप्रार्थीगण व हमारी बहिन मृतका महेन्द्र कौर के वारिस गुरसेवक सिंह का कब्जा काश्त है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में ना होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। प्रार्थी के अभिवचनों के अनुसार उक्त कृषि भूमि हम अप्रार्थीगण व हमारी बहन मृतका महेन्द्र कौर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज और हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी स्थगन आदेश की आड में अप्रार्थीगण को जबरन बेकब्जा करना चाहता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

A-प्रथम दृष्टया मामला:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अप्राथीगण के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 62/2023 अनवान सुखपाल कौर आदि बनाम इकबाल सिंह आदि के अनुतोष में चक 1 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 6/6, 59/59, चक 2 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 4/4, चक 4 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 52/50 में वर्णित रकबा के सम्बन्ध में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए जाने बाबत निवेदन किया है। परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित अनुतोष का आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर चक [illegible] के खाता संख्या 6/6, 59/59 व चक 2 डब्ल्यू के खाता संख्या 4/4 में दर्ज भूमि बाबत अन्तरिम अस्था[illegible] आदेश पारित किया है, परन्तु चक 4 डब्ल्यू की जमाब[illegible] 2074 ता 2[illegible] के खा[illegible]ख्या 52/50 में दर्ज रकबा के बाबत कोई अन्तरिम स्[illegible] आदेश [illegible] [illegible]र्थीगण चक 4 डब्ल्यू के खाता संख्या 52/50 की भूमि [illegible] है। इसलिए चक 4 डब्ल्यू के खाता संख्या 52/50 में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि [illegible] ताफैसला वाद रिकॉर्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये जा[illegible] जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा कथन किये गये कि उक्त कृषि भूमि हम अप्रार्थीगण व हमारी बहन मृतका महेन्द्र कौर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज और हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी स्थगन आदेश की आड में अप्रार्थीगण को जबरन बेकब्जा करना चाहता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा चक 4 डब्ल्यू, पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:23:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

10 डब्ल्यू, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 52/50 में अप्रार्थी सुखपाल कौर, सिमरजीत कौर, परमजीत कौर के नाम 1.534 हैक्टेयर भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

B-सुविधा का संतुलन:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। लिहाजा अप्रार्थीगण अपने हक हिस्से तक वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है तथा अपने हक-हिस्से की आराजी का उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। अतः प्रार्थी सुविधा के संतुलन को भी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

C-अपूरणीय क्षतिः- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में अस्थायी व्यादेश दिया जाता तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी अपने के पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना विधिसंगत नहीं समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:23:17 IST
Reason: SelfAttested